फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री देवी सिंह पिता अमर सिंह सोलंकी निवासी पबराना पो. टीकड वाया चारभुजा रोड, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 01/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये क्रमांकः– आर.टी.आई. /2024/29 दिनांक 16.01.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अपना खाता पोर्टल पर प्रमाणित जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रैस उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया संबंधित रिकार्ड ऑनलाइन apnakhata.rajasthan.gov.in पोर्टल से प्राप्त करने हेतु लिखा गया। कार्यालय द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध करवा दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	